डीजी-परिपत्र संख्या- 7 /2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः फरवरी 04, 2020

विषयः- विवेचक/पुलिस साक्षियों की मा0 विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर साक्ष्य हेतु प्रत्येक दशा में उपस्थित कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से विवेचकों/पुलिस साक्षियों की मा0 विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर साक्ष्य हेतु प्रत्येक दशा में उपस्थित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश पार्श्वोंकित परिपत्रों के माध्यम से अनुपालनार्थ निर्गत किये गये हैं, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त परिपत्रों का पूर्णतः अनुपालन नही किया/कराया जा रहा है तथा विवेचकगण/पुलिस साक्षी नियत तिथि पर मा0 विचारण न्यायालयों द्वारा बार-बार प्रोसेस प्रेषित किये जाने के पश्चात भी उपस्थित नही हो रहें हैं जिसके कारण विचाराधीन अभियोगों का विचारण पूर्ण नही हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस चतुर्थ बेल एप्लीकेशन नं0 15210/2019 राजू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में सुनवाई के उपरान्त कड़े निर्वेश निर्गत किये गये है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

डीजी परिपत्र संख्याः-26/2014 दिनांक 26.04.2014
डीजी परिपत्र संख्याः-23/2015 दिनांक 10.04.2015
डीजी परिपत्र संख्याः-65/2015 दिनांक 16.08.2015
डीजी परिपत्र संख्याः-70/2015 दिनांक 20.10.2015
डीजी परिपत्र संख्याः-16/2018 दिनांक 21.04.2018
डीजी परिपत्र संख्याः-23/2019 दिनांक 19.06.2019

On several occasion it has come to the notice of the Court that police personnels who are Investigating Officers and other police witnesses had not appeared before the trial court and after the orders were passed by this Court wherein personal affidavit was also called from the D.G.P of the State of U.P. regarding non appearance of the police witnesses before the trial court, the said witnesses appeared before the trial court. It has become regular practice that the police personnels who are not appearing before the trial court in spite of repeated summons even coercive action being taken against them by the trial court such as issuing non-bailable warrants, stopping of salary order is being passed by the trial court and the accused are languishing in jail for several years as under trial which cause hurdle in speedy trial.

Therefore, The Chief Secretary of the State is directed to file his personal affidavit in the matter by the next date, failing which he shall appear before this Court in person to explain for such serious lapses on the part of State which is the prosecuting agency and committed and duty bound to give speedy justice to its citizen by ensuring speedy trial.

<u>अतः उक्त आदेश के अनुपालन में आप सभी को निम्नानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है:-</u>

- ऐसे विचाराधीन प्रकरण जिसमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं, अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य मा0 विचारण न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित तिथि में ही सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- अपराधिक प्रकरणों में साक्षी पुलिस कर्मी नियत तिथि पर उपस्थित होकर बयान अंकित कराते हुए न्यायिक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ऐसा न करने पर सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न होने पाये, इस हेतु जनपदीय सम्मन सेल का ससमय तामीला सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी का उत्तदायित्व भी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरित पुलिस कर्मियों का पूर्ण विवरण प्रभारी सम्मन सेल द्वारा अभिलिखित किया जायेगा। जिसमें सम्बन्धित पुलिस साक्षीगण का टेलीफोन नम्बर एवं अन्य सुसंगत विवरण अंकित कर उन्हें समय से साक्ष्य हेतु उपस्थित होने हेतु त्वरित संचार के माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- सम्मन/वारण्ट का ससमय तामीला प्रकिया का पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो जनपद के अभियोजन अधिकारी/डी0जी0सी0 क्रिमिनल से समन्वय स्थापित कर, न्यायालयी प्रोसेस का समय से अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी होगें।
- भविष्य में यदि इस प्रक्रिया के अनुपालन में कोई लापरवाही प्रकट की जाती है तो पर्यवेक्षणीय वरिष्ठ अधिकारीगण का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मुझे विश्वास है कि भविष्य में त्वरित न्याय प्रक्रिया में सहयोग हेतु उपरोक्तानुसार अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य मा0 विचारण न्यायालय में समय से सुनिश्चित कराने में आप व्यक्तिगत ध्यान देगें।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें एवं अनुपालन में त्रुटि न हो।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/एसआईटी/सहकारिता प्रकोष्ठ उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन/रेलवेज/एटीएस उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0।